



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2013/श्रावण 17, 1935

No. 213]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2013/SRAVANA 17, 1935

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण) संशोधन विनियम, 2013

एफ. सं. 2084/सीएवी.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2), जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण) विनियम, 2000 के विनियम 14(i) के साथ पढ़ा जाए, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक-मंडल, एतद्वारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण) विनियम, 2000 (मूल विनियम) में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण) संशोधन विनियम, 2013 कहा जाएगा।
- (2) ये संशोधन 13 मई, 2013 से प्रभावी होंगे।
- (3) (क) अनुसूची-I

मूल विनियम की अनुसूची-I में वर्णित तुलनपत्र के प्ररूप में, तुलनपत्र की अनुसूची में वर्णित "अनुसूची-II : आरक्षितियाँ, अधिशेष व निधियाँ" में "पूँजी और देयताएँ" शीर्ष के अधीन उप-शीर्ष (b) के बाद और शीर्ष "(B) लाभ एवं हानि लेखा में अधिशेष" के पहले निम्नलिखित प्रभाव का नया उप-शीर्ष "(c) अन्य आरक्षितियाँ (कृपया निर्दिष्ट करें)" अंतर्स्थापित किया जाएगा।

"(c) अन्य आरक्षितियाँ (कृपया निर्दिष्ट करें)

- (i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित
 - आरंभिक शेष
 - वर्ष के दौरान परिवर्द्धन
 - वर्ष के दौरान उपयोग
 - अंतिम शेष"

(ख) अनुसूची-II

मूल विनियम की अनुसूची-II में वर्णित लाभ एवं हानि लेखा के प्ररूप में, लाभ एवं हानि लेखा में वर्णित शीर्ष "विनियोग" के अधीन "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षितियों में अंतरण" प्रविष्टि के बाद और "स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण" प्रविष्टि के पहले निम्नलिखित प्रभाव की एक नई प्रविष्टि "अन्य आरक्षित निधियाँ (कृपया निर्दिष्ट करें)" अंतर्स्थापित की जाएगी।

"अन्य (कृपया इंगित करें)

- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में और से अंतरण"

एन. रामन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/139ए/13/असा.]

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक-मंडल ने, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1), जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण) विनियम, 2000 के विनियम 14(i) के साथ पढ़ा जाए, के संदर्भ में दिनांक 13 मई, 2013 को मुंबई में आयोजित अपनी 163वीं बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (साधारण) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित और अंगीकार किया है।

यू. जे. लालवाणी, देश प्रमुख निगमित लेखा उद्-भाग

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

Small Industries Development Bank of India (General) Amendment Regulations, 2013

F. No. 2084/CAV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), read with Regulation 14(i) of the Small Industries Development Bank of India (General) Regulations, 2000, the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India has made the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (General) Regulations, 2000 (the Principal Regulations), namely:-

(1) These Regulations may be called Small Industries Development Bank of India (General) Amendment Regulations, 2013.

(2) The amendment shall be effective from May 13, 2013.

(3) (a) **SCHEDULE-I:**

In the format of the Balance Sheet as appearing in the SCHEDULE-I to the Principal Regulations a new sub-head "(c) Other Reserves (Please specify)" shall be inserted to the following effect after sub-head (b) and before the head "(B) Surplus in Profit and Loss Account" under the head "CAPITAL AND LIABILITIES" in "Schedule II: Reserves, Surplus and Funds" as appearing in Schedule to Balance Sheet :

"(c) Other Reserves (Please specify)

(i) Investment Fluctuation Reserve

- Opening Balance.
- Additions during the year.
- Utilisation during the year.
- Closing Balance."

(b) **SCHEDULE-II:**

In the format of the Profit & Loss Account as appearing in the SCHEDULE-II to the Principal Regulations a new entry "Other Reserves (Please specify)" shall be inserted to the following effect after entry "Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961" and before the entry "Transfer to Staff Welfare Fund" appearing under the head "Appropriations" as appearing in Profit & Loss Account :

"Other (Please specify)

- Transfer to and from Investment Fluctuation Reserve"

N. RAMAN, Executive Director

[ADVT-III/4/139A/13/Exty.]

Certified that the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India has adopted and approved the Small Industries Development Bank of India (General) Amendment Regulations, 2013 in terms of section 52(1) of Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (Act No. 39 of 1989), read with Regulation 14(i) of the Small Industries Development Bank of India (General) Regulations, 2000, in its 163rd meeting held on May 13, 2013 at Mumbai.

U. J. LAIWANI, Country Head

Corporate Accounts Vertical